



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 5, 2019/चैत्र 15, 1941

No. 125]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 5, 2019/CHAITRA 15, 1941

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 अप्रैल, 2019

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019

सं.सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/08.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में,-
 - I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,-
 - i. खंड (भ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म” से उन निर्गमकर्ताओं (इश्युअर्स) की निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) और उनके व्यापार (उनकी ट्रेडिंग) हेतु व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफॉर्म अभिप्रेत है, जो विनियम 283 में निर्धारित पात्रता संबंधी मानदंडों का पालन करते हों;”

- ii. खंड (म) में, शब्द तथा चिह्न “संस्थागत व्यापारिक प्लेटफॉर्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म)” शब्दों “इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- II. विनियम 3 में, खंड (झ) में, शब्द तथा चिह्न “संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म)” शब्दों “इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- III. अध्याय-X में, शीर्षक में, शब्द तथा चिह्न “संस्थागत व्यापारिक प्लेटफॉर्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म)” शब्दों “इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- IV. विनियम 282 में, उप-विनियम (3) में, चिह्न तथा शब्दों “, किंतु उस तक छोटे व्यक्तिगत निवेशक पहुँच नहीं रख सकेंगे” का लोप हो जाएगा।
- V. विनियम 283 में,-
 - i. उप-विनियम (1) तथा (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्,-

“(1) ऐसा निर्गमकर्ता (इश्युअर) जो उत्पादों (प्रोडक्ट्स), सेवाओं या कारबार के प्लेटफॉर्मों (बिजनेस प्लेटफॉर्म) को बेहतरीन रूप में प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी), सूचना प्रौद्योगिकी (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी), बौद्धिक संपदा (इन्टेलेक्चुअल प्रॉपर्टी), डाटा एनालिटिक्स, बायो-टेक्नोलॉजी या नैनो-टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हो, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि बोर्ड के पास, यथास्थिति, प्रारूप सूचना दस्तावेज (ड्राफ्ट इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट) या प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल किए जाने की तारीख को, निर्गमकर्ता (इश्युअर) कंपनी की निर्गम से पूर्व की पूँजी (प्री-इश्यू कैपिटल) का पच्चीस प्रतिशत, कम से कम दो वर्षों की अवधि हेतु, निम्नलिखित के पास रहा हो:

 - I. अर्हित संस्थागत क्रेता (क्वॉलिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स);
 - II. कौटुंबिक न्यास (फैमिली ट्रस्ट), जिसकी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) अंतिम लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) वित्तीय विवरणों के अनुसार पाँच सौ करोड़ रुपये से अधिक की हो;
 - III. इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के प्रयोजनार्थ अक्रेडिटेड निवेशक;
 - IV. निम्नलिखित विनियमित (रेग्युलेटेड) एंटीटियाँ:
 - क. प्रवर्ग-III का विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक;
 - ख. ऐसी एंटीटी जो निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा करती हो:
 - i. वह एक ऐसा पूलड इन्वेस्टमेंट फंड (निवेश निधि) हो जिसकी न्यूनतम प्रबंधनाधीन आस्तियाँ (असेट्स अंडर मैनेजमेंट) एक सौ पचास मिलियन अमरीकी डॉलर (यूएसडी) की हों;
 - ii. वह उस देश के वित्तीय क्षेत्र के विनियामक (रेग्युलेटर) से रजिस्ट्रीकृत हो, जिस देश की वह निवासी हो;

- iii. वह उस देश की निवासी हो, जिसके प्रतिभूति बाजार के विनियामक (सिक्यूरिटीज़ मार्केट रेग्युलेटर) ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्यूरिटीज़ कमीशन के बहुपक्षीय समझौता (बोध) ज्ञापन (परिशिष्ट-ए हस्ताक्षरकर्ता) [मल्टीलेट्रल मैमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (अपेन्डिक्स ए सिगनेटोरीज़)] पर हस्ताक्षर किए हुए हों या बोर्ड के साथ द्विपक्षीय समझौता (बोध) ज्ञापन (बाइलेट्रल मैमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) पर हस्ताक्षर किए हुए हों;
- iv. वह उस देश की निवासी न हो, जो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) के पब्लिक स्टेटमेंट में:
- क) ऐसे देश के रूप में उल्लिखित हो जहाँ धन-शोधन निवारण (एंटी-मनी लॉण्ड्रिंग) या आतंकवाद के वित्तपोषण (की फाइनेंसिंग) का मुकाबला करने संबंधी नीतिगत खामियाँ हों, जिनके संबंध में कदम उठाए जाने हैं; या
- ख) ऐसे देश के रूप में उल्लिखित हो, जिसने ऐसी खामियों को दूर करने के संबंध में पर्याप्त प्रगति न की हो या जो ऐसी खामियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स) के साथ मिलकर बनाई गई कार्य-योजना (एक्शन प्लान) के प्रति प्रतिबद्ध न हो।

स्पष्टीकरण:

- (क) निम्नलिखित एंटीटियाँ इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के प्रयोजनार्थ अक्रेडिटेड निवेशक माने जाने हेतु पात्र होंगी:
- (i) ऐसा कोई व्यक्ति (व्यष्टि), जिसकी कुल सकल वार्षिक आय पचास लाख रुपये की हो और जिसकी न्यूनतम लिक्विड नेटवर्थ (शुद्ध-मालियत) पाँच करोड़ रुपये की हो; या
- (ii) ऐसा कोई निगमित निकाय (बाँडी कारपोरेट), जिसकी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) पच्चीस करोड़ रुपये की हो।
- (ख) निर्गम से पूर्व की पूँजी (प्री-इश्यू कैपिटल) का दस प्रतिशत से अधिक अक्रेडिटेड निवेशक धारण नहीं कर सकेंगे।
- (ग) अक्रेडिटेशन के प्रयोजनार्थ: जो व्यक्ति / निगमित निकाय (कारपोरेट बाँडी) इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म के प्रयोजनार्थ अक्रेडिटेशन पाना चाहते हों, वे स्टॉक एक्सचेंजों या निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरीज़) से संपर्क करेंगे तथा बोर्ड और/या ऐसे स्टॉक एक्सचेंज या निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) द्वारा, अक्रेडिटेड निवेशक के रूप में अक्रेडिटेशन के प्रयोजनार्थ, समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली प्रक्रियाओं का अनुसरण करेंगे।”

ii. उप-विनियम (3), उप-विनियम (2) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा।

VI. विनियम 284 में, उप-विनियम (6) में, शब्द तथा चिह्न “संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म)”, शब्दों “इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

- VII. विनियम 285 के पश्चात् और विनियम 286 से पूर्व, निम्नलिखित नया विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -
- “न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता संबंधी मानदंड और प्रस्ताव (ऑफर) का न्यूनतम आकार**
- 285क.(1) निर्गमकर्ता (इश्युअर) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 [सिक्कूरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स (रेग्यूलेशन) रूल्स, 1957] में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (पब्लिक शेयरहोल्डिंग) के संबंध में निर्धारित की गई अपेक्षाओं का पालन करेगा।
- (2) प्रस्ताव (ऑफर) का न्यूनतम आकार दस करोड़ रुपये का होगा।”
- VIII. विनियम 286 में, शब्द “दस लाख रुपये का”, शब्दों “दो लाख रुपये का और उसके गुणकों में” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- IX. विनियम 287 में, -
- (i) उप-विनियम (1) में, शब्द “दो सौ”, शब्द “पचास” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- (ii) उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -
- “संस्थागत निवेशकों (इंस्टिट्यूशनल इनवेस्टर्स) और गैर-संस्थागत निवेशकों (नॉन-इंस्टिट्यूशनल इनवेस्टर्स) को आबंटन आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।”
- (iii) उप-विनियम (3), (4) और (5) का लोप हो जाएगा।
- (iv) मौजूदा उप-विनियम (6), उप-विनियम (3) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा।
- X. विनियम 289 में, शब्द “दस लाख रुपये का”, शब्दों “दो लाख रुपये का और उसके गुणकों में” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- XI. विनियम 290 में, शब्द तथा चिह्न “संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म”, शब्दों “इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- XII. विनियम 291 में, उप-विनियम (2) में, शब्द तथा चिह्न “संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म (इंस्टिट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफार्म)”, शब्दों “इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- XIII. अनुसूची-V में, प्ररूप-क में, पैरा (13) में, शब्द “संस्थागत व्यापारिक प्लेटफार्म”, शब्दों “इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./09/19]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. मूल विनियम तत्पश्चात्:
 - (क) 31 दिसम्बर 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57, द्वारा

(ख) 29 मार्च 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/05, द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th April, 2019

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2019

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 -
 - I. in regulation 2, in sub-regulation (1),-
 - i. clause (x), shall be substituted with the following, namely,-

“innovators growth platform” means the trading platform for listing and trading of specified securities of issuers that comply with the eligibility criteria specified in regulation 283;”
 - ii. in clause (y), the words “institutional trading platform” shall be substituted with the words “innovators growth platform”.
 - II. in regulation 3, in clause (i), the words “institutional trading platform” shall be substituted with the words “innovators growth platform”.
 - III. in CHAPTER X, in the heading, the words “INSTITUTIONAL TRADING PLATFORM” shall be substituted with the words “INNOVATORS GROWTH PLATFORM”.
 - IV. in regulation 282, in sub-regulation (3), the words “and not to retail individual investors” shall be omitted.
 - V. in regulation 283,-
 - i. sub-regulations (1) and (2) shall be substituted with the following, namely,-

“(1) An issuer which is intensive in the use of technology, information technology, intellectual property, data analytics, bio-technology or nano-technology to provide products, services or business platforms with substantial value addition shall be eligible for listing on the innovators growth platform, provided that as on the date of filing of draft information document or draft offer document with the Board, as the case may be, twenty five per cent of the pre-issue capital of the Issuer Company for at least a period of two years, should have been held by:

 - I. Qualified Institutional Buyers;
 - II. Family trust with net-worth of more than five hundred crore rupees, as per the last audited financial statements;
 - III. Accredited Investors for the purpose of Innovators Growth Platform;
 - IV. The following regulated entities:
 - a. Category III Foreign Portfolio Investor;
 - b. An entity meeting all the following criteria:

- i. It is a pooled investment fund with minimum assets under management of one hundred and fifty million USD;
- ii. It is registered with a financial sector regulator in the jurisdiction of which it is a resident;
- iii. It is resident of a country whose securities market regulator is a signatory to the International Organization of Securities Commission's Multilateral Memorandum of Understanding (Appendix A Signatories) or a signatory to Bilateral Memorandum of Understanding with the Board;
- iv. It is not resident in a country identified in the public statement of Financial Action Task Force as:
 - a) a jurisdiction having a strategic Anti-Money Laundering or Combating the Financing of Terrorism deficiencies to which counter measures apply; or
 - b) a jurisdiction that has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed with the Financial Action Task Force to address the deficiencies.

Explanation:

- (a) The following entities shall be eligible to be considered as accredited investors for the purpose of innovators growth platform:
 - (i) any individual with total gross income of fifty lakhs rupees annually and who has minimum liquid net worth of five crore rupees; or
 - (ii) any body corporate with net worth of twenty five crore rupees.
 - (b) Not more than ten per cent of the pre-issue capital may be held by Accredited Investors.
 - (c) For the purpose of accreditation: The persons/corporate bodies who wish to get accreditation for the purpose of innovators growth platform, shall approach the stock exchanges or depositories and follow the procedures prescribed by the Board and / or such stock exchange or depository for the purpose of accreditation as an Accredited Investor, from time to time.”
- ii. sub-regulation (3) shall be renumbered as sub-regulation (2).
- VI. in regulation 284, in sub-regulation (6), the words “institutional trading platform” shall be substituted with the words “innovators growth platform”.
 - VII. after regulation 285 and prior to regulation 286, the following new regulation shall be inserted, namely,-

“Minimum public shareholding norms and minimum offer size

285A.(1) The issuer shall be in compliance with minimum public shareholding requirements specified in the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957.

(2) The minimum offer size shall be ten crore rupees.”
 - VIII. in regulation 286, the words “ten lakh rupees” shall be substituted with the words “two lakh rupees and in multiples thereof”.
 - IX. in regulation 287,-
 - (i) in sub-regulation (1), the words “two hundred” shall be substituted with the words “fifty”.
 - (ii) sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely,-

“The allotment to institutional investors as well as non-institutional investors shall be on a proportionate basis.”
 - (iii) sub-regulations (3), (4) and (5) shall be omitted.
 - (iv) the existing sub-regulation (6) shall be renumbered as sub-regulation (3).

- X. in regulation 289, the words “ten lakh rupees” shall be substituted with the words “two lakh rupees and in multiples thereof”
- XI. in regulation 290, the words “institutional trading platform” shall be substituted with the words “innovators growth platform”.
- XII. in regulation 291, in sub-regulation (2), the words “institutional trading platform” shall be substituted with the words “innovators growth platform”.
- XIII. in Schedule V, Form A, in paragraph (13), the words “institutional trading platform” shall be substituted with the words “innovators growth platform”.

AJAY TYAGI, Chairman
[ADVT.-III/4/Exty./09/19]

Footnotes:

1. The SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on September 11, 2018 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.
2. The Principal Regulations were subsequently amended on:
 - (a) December 31, 2018 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.
 - (b) March 29, 2019 by SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/05.